कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 0809002

पत्र संख्या- वैट अनुभाग-परिपत्र-कॉर्पोरेट सर्किल-ऑयल सेक्टर- 06 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(वैट-अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: अप्रैल:: 4 , 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कारपोरेट सेल (ऑयल सेक्टर) की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बिक्रेता कम्पनियों व्यापारियों द्वारा राज्य के राजस्व में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान किया जाता है। अत: पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बिक्रेता कम्पनियों का साथ विभाग द्वारा पर्सनल रिलेशनसिप विकसित करते हुए इन कम्पनियों को बेहतर सुविधाएं कम से कम समय में उपलब्ध कराने तथा प्रक्रियात्मक कार्य में व्यय होने वाले समय को कम करते हुए एक स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ में कार्पोरेट सेल (ऑयल सेक्टर) का गठन किया गया है। इस कार्पोरेट सेल (आयल सेक्टर) में वर्तमान में 06 कम्पनियॉ सर्वश्री. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, नुमानीगढ़ रिफायनिरी लि0, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 तथा एस्सार आयल लि0 को रखा गया है तथा इन कम्पनियों के मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 एवं प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत किए जाने वाले समस्त कार्य कार्पोरेट सर्किल (आयल सेक्टर) में सम्पादित किए जायेगे। . वर्तमान में इन्टरनेट के माध्यम से कर के भुगतान की सुविधा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सी0वी0एस0 ब्रान्चों के खाता धारक व्यापारियों को उपलब्ध करा दी गयी है तथा भविष्य में अतिशीघ्र अन्य बैंकों से सामन्जस्य स्थापित करते हुए अन्य बैंकों के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। अत: इन कम्पनियों को वर्तमान में इन्टरनेट के माध्यम से देय कर के भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। भविष्य में विभाग में कम्प्यूटराइजेशन की प्रगति के साथ-साथ इन कम्पनियों के लिए रिटर्न की ई-फाइलिंग, विभागीय फार्मों को इन्टरनेट के माध्यम से डाऊनलोड करना आदि सुविधाएं भी दिया जाना प्रस्तावित हैं। इसके साथ-साथ कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) हेतु चयनित कम्पनियों द्वारा दिए जा रहे कर का राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान है तथा इनके द्वारा दिए जा रहे कर में कमी / वृद्धि का राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है । राज्य के कुल राजस्व में वृद्धि / कमी की सम्भावनाओं का आंकलन भी कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) हेतु चयनित कम्पनियों द्वारा प्रदर्शित रुझान के आधार पर किया जा सकता है। अत: यह भी आवश्यक है कि इन कम्पनियों द्वारा दाखिल रिटर्न एवं देय कर की नियमित समीक्षा अलग से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाये।

कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) का स्वरुप:-

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने एवं कार्पोरेट सर्किल के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसका प्रभारी अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) को नामित किया गया है। ऑयल सेक्टर में आवश्यकतानुसार डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी तैनात किए जाएंगे जो ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करेंगे। कार्पोरेट सर्किल (आयल सेक्टर) में 01 संख्या सहायक , 01 आशुलिपिक , 01 वरिष्ठ सहायक, 01 वरिष्ठ लिपिक एवं 01 कनिष्ठ लिपिक तैनात किया जायेगा तथा कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार घटायी / बढ़ाई जा सकती है।

कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) में तैनात अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-

1- कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) का प्रभारी ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) होगा तथा सर्किल में तैनात डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करेंगे।

2- डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारियों को कार्य का आबंटन ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) द्वारा किया जायेगा।

3- ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सर्किल हेतु चयनित कम्पनियों को मित्रवत् वातावरण उपलब्ध हो तथा इन कम्पनियों की समस्याओं / जिज्ञासाओं का त्वरित एवं उचित निराकरण किया जाये।

4- ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) द्वारा ऑयल कम्पनियों के सम्बन्धित अधिकारियों / डायरेक्टर/ प्रतिनिधियों /उ0प्र0 प्रान्त में प्रभारी अधिकारी वाणिज्य कर तथा स्थानीय अधिकारियों के नाम

/टेलीफोन नम्बर/ ई-मेल आदि प्राप्त कर रखे जायेंगे तथा समय-समय पर व्यक्तिगत सम्पर्क कर विभाग से आ रही समस्याओं की जानकारी कर उनका निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विभाग द्वारा लागू की जा रही नई योजनाओं /विभागीय निर्देशों से अवगत कराया जायेगा ।

5- ऑयल कम्पनियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वह दाखिल रिटर्न की विभागीय मॉड्यूल द्वारा जनरेट साफ्ट कापी भी रिटर्न के साथ उपलब्ध करायें जिससे रिटर्न की कम्प्यूटर में फीडिंग तुरन्त की जा सके।

6- ऑयल कम्पनियों को अपने कर दायित्व का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से करने हेतु प्रेरित किया जायेगा ।

7- कम्प्यूटराइजेशन की प्रगति के साथ भविष्य में ऑयल कम्पनियों का टैक्स लेजर भी वेब साइट पर उपलब्ध उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। कार्पोरेट सर्किल (आयल सेक्टर) हेतु चयनित कम्पनियों के लिए अपने टैक्स लेजर को देखने हेतु सिक्योरिटी पासवर्ड आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (आयल सेक्टर) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) की कम्पनियों को उनकी आवश्यकतानुसार विभागीय फार्म बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हों।

9- ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) द्वारा प्रत्येक आयल कम्पनी का एक प्रोफाइल तैयार कराकर कम्प्यूटर पर रखा जायेगा जिसमें कम्पनियों के सम्बन्धित अधिकारियों/प्रतिनिधियों /डायरेक्टर/ उ0प्र0 प्रान्त में प्रभारी अधिकारी वाणिज्य कर तथा स्थानीय अधिकारियों के नाम /टेलीफोन नम्बर/ ई-मेल आदि प्राप्त कर रखे जायेंगे तथा इन सूचनाओं के साथ-साथ उनके व्यापार से सम्बन्धित गत पॉच वर्षो के आंकड़े संकलित किए जायेगे तथा कम्पनियों के उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण रखा जायेगा। ऑयल कम्पनियों द्वारा किन वस्तुओं का उत्पादन / बिक्री की जाती है, ऑयल कम्पनी का कच्चा माल क्या-क्या है तथा उसकी खरीद / प्राप्ति कहॉ से एवं किन कम्पनियों से की जाती है तथा निर्मित अथवा प्रान्त बाहर से प्राप्त उत्पादों की बिक्री किन क्रेताओं को एवं किन स्थानों/ राज्यों में की जाती है, से सम्बन्धित विवरण रखा जायेगा । आयल कम्पनियों के स्टाक / कच्चे माल की समय विशेष पर उपलब्धता तथा बाई प्रोडक्ट एवं बेस्ट प्रोडक्ट की सप्लाई / बिक्री का विवरण भी रखा जायेगा ।

10- ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (आयल सेक्टर) द्वारा आयल कम्पनियों द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर उनके द्वारा देय कर प्रदर्शित खरीद / बिक्री एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों का विस्तृत परीक्षण एवं विश्लेषण किया जायेगा।

11- उक्त कम्पनियों की रिफायनरी किन-किन प्रान्तों में कहॉ-कहॉ पर स्थित हैं तथा जिन कम्पनियों की प्रान्त के अन्दर कोई रिफायनरी है उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त कर रखा जायेगा ।

12- ऑयल कम्पनियों द्वारा लगभग सभी राज्यों में व्यापार किया जाता है, अत: ऑयल कम्पनियों द्वारा अन्य राज्यों में उत्पादन / बिक्री के आंकड़े प्राप्त कर अन्य राज्यों में खपत / मॉग का विश्लेषण करते हुए प्रान्त में प्रदर्शित बिक्री एवं देय कर का परीक्षण किया जायेगा।

13- विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में कर की दर, इन उत्पादों की प्रमुख निर्माता कम्पनियॉ तथा वह कहॉ-कहॉ स्थित हैं तथा उनके द्वारा विभिन्न राज्यों में कितनी बिक्री / कितना कर जमा किया जा रहा है, यह सूचनाएं एकत्र कर रखी जायेंगी एवं इस परिप्रेक्ष्य में ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रदर्शित खरीद / बिक्री एवं देय कर का परीक्षण किया जायेगा।

14- कम्पनियों की प्रान्त स्थित रिफायनरी द्वारा गत वर्षों एवं संगत वर्ष में कितना क्रूड ऑयल मंगाया /आयात किया गया है तथा क्रूड ऑयल प्राप्ति के स्रोत क्या-क्या हैं आदि सूचनाएं संकलित की जायेंगी तथा अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की प्रतिदिन बाजार कीमत क्या रही है, इससे सम्बन्धित विवरण भी प्रतिदिन संकलित किया जायेगा।

15- विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की अलग-अलग कम्पनियों की प्रान्त में बिक्री की दरें क्या हैं तथा अन्य राज्यों में इनकी बिक्री दरें क्या-क्या है, इससे सम्बन्धित आंकड़ों को प्रतिमाह संकलित किया जायेगा।

16- उक्त परीक्षण के आधार पर सर्किल के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन राजस्व प्राप्ति का अनुमान सुनिश्चित किया जायेगा तथा अल्पकालीन व दीर्घकालीन वृद्धि / ह्रास की सम्भावनाओं को चिन्हित किया जायेगा।

17- ऐसे तात्कालिक एवं दीर्घकालीन कारकों को चिन्हित किया जायेगा जिनका पेट्रोलियम उत्पाद / कम्पनी विशेष के सन्दर्भ में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि की सम्भावनाओं पर प्रभाव पड़ता हो ।

18- उपरोक्त संकलन / विश्लेषण के आधार पर प्रतिमाह एक विस्तृत रिर्पोर्ट मुख्यालय के शोध अनुभाग को उपलब्ध करायी जायेगी । मुख्यालय पर शोध-अनुभाग द्वारा प्राप्त रिर्पोटों के आधार पर वस्तुवार विशलेषण करते हुए राजस्व प्राप्ति की सम्भावनाओं का आंकलन किया जायेगा।

19- आयल कम्पनियों के अभिलेखों से उपयोगी सूचनाओं का संकलन कर आवश्यकतानुसार प्रवर्तन इकाईयों / खण्ड कार्यालयों व पंजीयन प्रकोष्ठों को प्रेषित किया जायेगा।

20- प्रवर्तन इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

21- ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रान्त के बाहर से खरीद / बिक्री अथवा स्टाक ट्रांसफर से सम्बन्धित सूचनाओं का सत्यापन सम्बन्घित राज्यों से कराकर एवं सम्बन्धित राज्यों से प्रश्नगत कम्पनियों के विषय में सूचनाएं प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

22- करमुक्ति, कर की दरों एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के सम्बन्ध में सुसंगत नियमों की सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए आवश्यकतानुसार ऑयल कम्पनियों को अवगत कराया जायेगा।

23- ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की प्रगति, कर निर्धारण / अर्थदण्ड सम्बन्धी वादों के निस्तारण की प्रगति तथा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की वर्तमान स्थिति आदि से उन्हे ई- मेल / एस0एम0एस0 / टेलीफोन द्वारा सूचित करने हेतु व्यवस्था विकसित करते हुए इसका दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

24- उपरोक्त समस्त कार्य दायित्वों निष्पादन इस प्रकार किया जायेगा कि ऑयल कम्पनियों एवं विभाग के मध्य पारस्परिक पर्सनलाइज सम्बन्ध विकसित हों तथा इन कम्पनियों को बेहतर एवं परिणामपरक सुविधाएं प्रभावी ढंग से उपलब्ध हों।

25- कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जायेगा कि उनके द्वारा किस प्रकार कम से कम दण्डात्मक प्राविधानों का उपयोग करते हुए इन कम्पनियों से सही-सही व समय पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए देय कर जमा कराया गया।

26- मुख्यालय स्थित शोध अनुभाग द्वारा वाणिज्य कर, मुख्यालय पर स्थित कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) की ऑयल कम्पनियों को रेण्डम आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभावशीलता एवं गुणवत्ता के विषय में तथा कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यपद्धति एवं व्यवहार के विषय में फीड बैक प्राप्त करने हेतु प्रारुप निर्धारित किए जायेंगे तथा इन प्रारुपों के आधार पर प्राप्त फीडबैक का मासिक / त्रैमासिक संकलन करते हुए कमिश्नर, वाणिज्य कर के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) में तैनात कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व

1-वरिष्ठ सहायक

(i) वरिष्ठ सहायक ऑयल सेक्टर में कार्यरत सभी कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करते हुए कार्यो को सम्पादित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे ।

(ii) मुख्यालय व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए जाने वाले विवरण-पत्रों / सूचनाओं से सम्बन्धित आंकड़े संख्या सहायक को प्राप्त कराते हुए विवरण-पत्रों को तैयार कराकर प्रेषित किया जायेगा।

(iii) अधिकारी द्वारा फार्म वितरण के आदेश के उपरान्त सम्बन्धित व्यापारी को आदेशित मात्रा में फार्म सभी वांछित प्रविष्टियां / पंचिंग पूर्ण करके प्राप्त कराये जायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि फार्म अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जायें।

(iv) अपील / रिवीजन से सम्बन्धित मामलों में वांछित प्रारुप व अभिलेख प्रेषित किए जायेंगे।
आन्तरिक / वाह्य सम्परीक्षा के सम्पादन हेतु अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण तथा आपत्तियों के निराकरण हेतु अनुपालन प्रेषित किया जायेगा।

(v) देय रिफण्ड / प्रोविजनल रिफण्ड के मामलों में आदेश प्राप्त होने के बाद तुरन्त पत्रावली प्राप्त कर रिफण्ड बनाकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं रिफण्ड तैयार कर नियमानुसार प्रेषित किया जायेगा ।

(vi) ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) व अन्य अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य सम्पादित किए जायेंगे ।

2-संख्या सहायक

(i) मुख्यालय व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए जाने वाले विवरण-पत्रों का संकलन कर प्रेषित किया जायेगा।

(ii) कम्पनियों के आंकड़ों को ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) व ऑयल सेक्टर में तैनात अन्य अधिकारियों के निर्देशानुसार संकलित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) कम्पनियों के रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों की कम्प्यूटर में फीडिंग की जायेगी ।

(iv) ज्वाइंट कमिश्नर, कार्पोरेट सर्किल (ऑयल सेक्टर) वअन्य अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य सम्पादित किए जायेगे।

3-आशुलिपिक

(i) आर-5ए, आर-5बी, आर-5सी एवं कर निर्धारण / अर्थदण्ड से सम्बन्धित रजिस्टर व अभिलेखों का रखरखाव किया जायेगा ।

(ii) कर निर्धारण / अर्थदण्ड एवं अन्य विविध मामलों में नोटिस बनाकर अथवा कम्प्यूटर जनित नोटिस प्राप्त कर अधिकारी के समक्ष पत्रावली सहित प्रस्तुत किए जायेंगे तथा हस्ताक्षर के उपरान्त तामीली हेतु प्राप्ति / प्रेषण लिपिक को प्राप्त करायें जायेंगे ।

(iii) कर निर्धारण / अर्थदण्ड आदेशों को अधिकारी के निर्देशानुसार कम्प्यूटर से जनरेट किया जायेगा अथवा टंकित किया जायेगा।

(iv) अपीलीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखित प्रतिवेदन अधिकारी के निर्देशानुसार तैयार किए जायेंगे तथा द्वितीय अपील, पुनरीक्षण अथवा रिट में प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों को अधिकारी के निर्देशानुसार तैयार किया जायेगा।

(v) अधिकारी के निर्देशानुसार कम्पनियों के रिटर्न की कम्प्यूटर में फीडिंग की जायेगी तथा अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्य सम्पादित किए जायेगे ।

4-वरिष्ठ लिपिक

(i) वरिष्ठ लिपिक द्वारा आयल कम्पनियों की पत्रावलियों का रखरखाव किया जायेगा तथा प्राप्त प्रपत्र नियमानुसार पत्रावली पर रखे जायेगे ।

(ii) प्राप्त सूचनाओं को पत्रावली पर अंकित करते हुए सत्यापन / आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ।

(iii) आयल कम्पनियों की पत्रावलियों से सूचनाओं का नियमानुसार प्रेषण किया जायेगा तथा सूचना के आधार पर अपेक्षित कार्वाही सम्पादित करायी जायेगी ।

(iv) अधिकारियों के निर्देशानुसार रिटर्न की फीडिंग एवं अन्य कार्य सम्पादित किए जायेंगे ।

5-कनिष्ठ लिपिक

(i) कनिष्ठ लिपिक द्वारा प्राप्ति / प्रेषण लिपिक का सभी कार्य सम्पादित किया जायेगा।

(ii) आयल सेक्टर में कनिष्ठ लिपिक द्वारा सामान्य टंकण का सभी कार्य सम्पादित किया जायेगा ।

(iii) अधिकारियों के निर्देशानुसार रिटर्न की फीडिंग एवं अन्य कार्य सम्पादित किए जायेगे ।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक - उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में) ।

4. अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवँ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0 नु0शा0/अपील) / (कॉरपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक/सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
7. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
9. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
10. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
11. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
12. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन, सेक्टर-10, नोयडा।
13. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
14. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद।
15. मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ।
16. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियॉ।
17. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
19. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
20. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
21. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
22. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
23. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलस़फा, लखनऊ।
24. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
25. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 2/210, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
26. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
27. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
28. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
29. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
30. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।
31. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
32. शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उार प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
33. श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
34. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
35. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
36. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
37. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0, 235, सीताराम, आजमगढ़।
38. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुॅंज गली, चौक, वाराणसी।
39. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
40. श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा।
41. श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर।
42. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।

43. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद।
44. श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर।
45. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
46. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
47. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
48. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर।
49. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
50. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
51. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
52. श्री हुलास राय सिँघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।
53. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पॅजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
54. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
55. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
56. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
57. अध्यक्ष, आई0 ई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097।
58. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
59. श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस।
60. श्री मनीष शर्मा, लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हजाउस, आर-15/5, राजनगर, गाजियाबाद।
61. श्रीमती इन्दू मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।